

 एन के एच के केन्द्रीय विद्यालय संगठन	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक - 5 [प्रथम पारी], मानसरोवर जयपुर, (राज.) पिन -302020 PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.5 [1 st SHIFT], MANSAROVAR, JAIPUR (RAJ.) PIN-302020 वेबसाइट: www.no5jaipur.kvs.ac.in दूरभाष: 0141-2784141 ई-मेल: kv5jaipurishift@gmail.com			 एन के एच के केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KVS Station Code: 338	KVS School Code: 1616	CBSE Affiliation.No.1700048	CBSE School no. 14157	

पत्रांक 1616/29 /के.वि.क्र.5 जयपुर (प्रथम पारी)/2025-26/362

दिनांक :25-09-2025

नीलामी सूचना

सभी को यह सूचित किया जाता है कि SUPW, Audio-Visual, Other Fixed Assets एवं परीक्षा विभाग में उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पुस्तकालय विभाग में अनुपयोगी पुस्तकें एवं अन्य सामान्य जो अनुपयोगी घोषित है और इन्हें जहाँ और जैसी ही स्थिति में सार्वजनिक नीलामी बिक्री के माध्यम से बेचा जाना है, दिनांक 25-09-2025 को स्कूल परिसर में प्रातः 11 बजे आयोजित नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी जो लोग नीलामी में भाग लेने के इच्छुक है, वे विद्यालय में नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं और उसी दिन सुबह 09 बजे नीलामी के लिए रखी गयी वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेंगे। सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली की राशि तुरंत नियमानुसार जमा करानी होगी और विद्यालय में परिसर से SUPW, Audio-Visual, Other Fixed Assets एवं परीक्षा विभाग में उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पुस्तकालय विभाग में अनुपयोगी पुस्तकें एवं अन्य निस्तारित सामान को तुरंत अपनी लागत पर उठाना होगा।

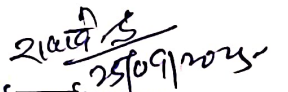
केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

नीलामी के लिए नियम और शर्तः

1. बोली लगाने वाले को बोली में भाग लेने से पहले 500 रूपये की धरोहर राशि जमा करनी होगी जो नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।
2. समिति द्वारा स्वीकार्य उच्चतम बोली की राशि को मौके पर ही जमा करना होगा, जिससे धरोहर/सुरक्षा राशि समायोजित कर दी जाएगी, नीलाम की गई सामग्री बोलीदाता द्वारा भुगतान करने के तुरन्त बाद उठानी होगी, स्वीकृति के समय बोली की 100% राशि जमा करने में विफलता के मामले में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
3. अन्य नियम और शर्त यदि कोई है, समिति द्वारा नीलामी प्रारम्भ होने से पहले घोषित कर दी जाएगी।
4. विद्यालय के नीलामी योग्य सभी वस्तुओं को इसकी नीलामी के लिए एकल स्थान पर रखा जाएगा।
5. समिति बिना किसी भी कारण को बताए, किभी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

वितरण:

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति।
2. समस्त केन्द्रीय विद्यालय जयपुर संभाग।
3. विद्यालय सूचना पट्ट।
4. विद्यालय वेबसाइट।
5. जन सूचना केन्द्र जयपुर।


प्राचार्य प्राचार्य PRINCIPAL
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 5 जयपुर
PM SHRI K.V. No.5 JAIPUR